AMAR UJALA MY CITY Page 5

लविवि में फाइनल ईयर के एग्जाम व प्रमोशन को लेकर मंथन जारी

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। अगली कक्षा में प्रमोशन और परीक्षा प्रणाली पर विस्तृत गाइडलाइन की आस लगाये विद्यार्थियों को सोमवार को भी निराश होना पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा और अन्य विद्यार्थियों के प्रमोशन की पॉलिसी फाइनल नहीं कर सका। माना जा रहा है कि अब मंगलवार को इसकी गाइडलाइन जारी की जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक व विभागाध्यक्षों की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला

प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद लविवि को अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा करानी है, जबकि अन्य विद्यार्थियों को किसी सर्वमान्य आधार पर अगली कक्षा में प्रमोशन करना है। इसके लिए लविवि कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक और विभागाध्यक्षों को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। अभी तक यह रिपोर्ट फाइनल नहीं हो सकी है। लविवि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा ओएमआर पर कराने का विचार कर रहा है। इसमें सवाल एक-एक नंबर के बजाय दो-दो नंबर के होंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र के आधे सवाल ही हल करने होंगे। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। वहीं, दूसरी ओर अन्य विद्यार्थियों के प्रमोशन को लेकर भी काफी मंथन चल रहा है। अच्छी बात यह है कि लविवि में सेमेस्टर प्रणाली लागू है। इस वजह से लविवि को पिछली परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रमोशन करने का विकल्प मिल जाएगा। बहरहाल अभी तक लविवि विभिन्न विचारों पर ही विचार कर रहा है। लविवि के प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा और प्रमोशन संबंधी किसी फॉर्मूले पर अब तक मुहर नहीं लगाई गई है। समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही कुलपति उस पर कोई फैसला लेंगे।

i-NEXT Page 4

एलयू में 4 अगस्त से नया सेशन

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW(20 July): लखनऊ विश्वविद्यालय ने नए सत्र को लेकर योजना बनानी शुरू कर दी है. 4 अगस्त से शुरू होने वाली क्लासेज के लिए शिक्षकों को ई-कंटेट डेवलप कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा साथ ही ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू होंगी.

होगा एकेडमिक ऑडिट

लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो. आलोक कुमार राय ने विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभाग की एकेडमिक ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही शिक्षकों ने साल भर में क्या कार्य किया है वो भी बताना होगा. इसके अलावा प्रस्तावित 4 अगस्त से शुरू होने वाले नए सत्र की कक्षाओं के लिए शिक्षकों को ई-कंटेंट डेवलप करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर एलयू की ओर से दिए गए प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ऑलाइन क्लासेस शुरू करने की बात कर रहा है, लेकिन शिक्षकों को न तो लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान की गई न ही अब दी जा रही है.

कोर्स पूरा होना चुनौती

एलयू ने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस से 80 फीसद कोर्स पूरा हो जाने का दावा किया था. वहीं . हालांकि प्रमोट किए जाने पर स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली. ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस में कोर्स पूरा होना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है.

“ क्लासेस को लेकर और शासन के निर्देशानुसार कोर्स कम करने को लेकर कार्य चल रहा है. ऑनलाइन क्लासेस को लेकर शिक्षकों को दी जाने वाली सुविधा के लिए आगे सभी डीन व विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा.

दुर्गेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता, एलयू

PIONEER Page 3

सीमांकन बढ़ा तो

पूरे होंगे घाटे, खुलेगी तरक्की की राह

वर्ष 2008 में भी शासन की तरफ से लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला था सीमांकन विस्तार का प्रस्ताव

सतीश सिंह। लखनऊ

सीमांकन बढ़ाये जाने को लेकर शासन स्तर पर निर्देश जारी होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय का जहां आर्थिक घाटा पूरा होगा, वहीं विवि स्तर पर तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। हर साल होने वाले 40 से 50 करोड़ के घाटे की भरपाई के साथ ही आत्मनिर्भर बनने की राह में विवि आने वाले दो से चार साल के अंदर अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के समकक्ष खड़ा हो सकेगा। फिलहाल सीमांकन विस्तार को लेकर अभी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनयम 1973 में संशोधन होगा। उसके बाद ही विश्वविद्यालय के सीमांकन में वृद्धि हो सकेगी। अब यह सरकार पर निर्भर है कि अधिनियम में संशोधन के लिए वह सदन के माध्यम से अधिसूचना जारी करती है या फिर कैबिनेट के जरिये अध्यादेश पारित करेगी।

ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय अधिनयम में संशोधन पहली बार होगा। इससे पूर्व भी दो बार अधिनियम में संशोधन हो चुके हैं। वर्ष 2008 के पूर्व विवि से केवल 50 से 60 कॉलेज सम्बद्ध थे। विवि को सीमाकंन विस्तार का प्रस्ताव वर्ष 2008 में शासन की तरफ से दिया गया था। मगर उस दौरान विवि के तत्कालीन कुलपति प्रो अजायब सिंह बरार ने शासन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। जिसके बाद शासन ने एक्ट में संशोधन कर विवि की परिधि 16 किमी को बढ़ा दिया था। जिसके बाद कालेजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई। इसके बाद वर्ष 2014 में सरकार ने अधिनियम की धारा 5.4 को खत्म कर 5.1 कर दिया था। धारा 5.1 होने से राज्य विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आने वाले सभी मेडिकल कालेज उसके अधीन हो गए। वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय से 170 कालेज सम्बद्ध है। बता दें कि गत 7 जुलाई को लखनऊ विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने, छात्र हितों के संरक्षण एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के

प्रशासनिक कार्यों के सुगम निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री की तरफ से विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिए सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति मिलने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में लखनऊ जनपद के साथ-साथ लखनऊ मंडल के अधीन आने वाले चार जिले लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और हरदोई शामिल होंगे।

गेंद सरकार के पाले में: लखनऊ विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। पूरे प्रदेश में केवल लखनऊ, गोरखपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा मिलने के बाद वर्तमान में दो ही विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय के दायरे में हैं। जबकि अन्य को एफिलेटिंग का दर्जा हासिल है। आवासीय विश्वविद्यालय का तात्पर्य ट्रेडिशनल कोर्स के संचालन के साथ ही अपने छात्रावास से है। अब सीमांकन विस्तार में यूनिवर्सिटी का स्वरूप बदलकर सरकार एफिलेटिंग का दर्जा देती है तो फिर विवि के लिए धारा 38 को शिथिल करना होगा। वहीं विवि के जानकारों का कहना है कि इससे पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी विस्तार हुआ था तो उसमें सरकार ने रेजिडेंशियल को बरकरार रखा था। सम्भव है वही रास्ता यहां भी अपनाया जाएए फिलहाल इसके लिए गेंद सरकार के पाले में है। रेजिडेंशियल और एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी में बेसिक अंतर यह है कि रेजिडेंशियल की शिकायत कुलाधिपति या कोर्ट में होती है जबकि एफिलेटिंग की शिकायत शासन में होती है।

ऐसे होगा फायदा: विवि के सीमांकन विस्तार के चलते विवि से 350 के करीब नए कालेज जुड़ेंगे। वर्तमान में 40 से 50 हजार छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, विस्तार के बाद इनकी संख्या 3.5 लाख से ऊपर होगी। विवि एक छात्र से वर्तमान 5001 रुपये परीक्षा शुल्क वसूलता है, ऐसे में 3.5 लाख छात्रों से होने वाली कमाई करोड़ों में होगी। वही सम्बद्धता के नाम पर एक लाख रुपये, सलेक्शन कमेटी के लिए 20000 रुपये और कॉलेज के पैनल के लिए 30000 रुपये शुल्क निर्धारित है। पैनल भी दो बार होता है। ऐसे में विवि को हर साल मोटी कमाई का जरिया मिल जाएगा। जिससे विवि को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा होगा।

हर साल विवि को होता है 40 से 50 करोड़ का घाटा: विवि की कमाई और खर्च की बात करें तो शासन की तरफसे सेलरी के नाम पर कंटीजेंसी ग्रांट को मिलाकर 40 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि केवल सेलरी के नाम पर विवि को 140 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह तब है जब 170 के आसपास पद खाली हैं।

चार अगस्त से चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं

लखनऊ। शासन के निर्देश पर चार अगस्त से शुरू होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने योजना बनानी शुरू कर दी है। चार अगस्त से शुरू होने वाली क्लासेज के लिए शिक्षकों को ई.कंटेट डेवलप कर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। साथ ही शिक्षकों के वार्षिक एकेडमिक ऑडिट भी होंगे। कुलपति प्रो आलोक राय ने विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभाग की एकेडमिक ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों ने साल भर में क्या कार्य किया है वो भी बताना होगा।